न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—286/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/286)

1. पन्नालाल पुत्र स्व0 श्री नारायण उम्र करीबन 61 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम सिनोदिया हाल निवासी अजमेर रोड, गजसिंहपुरा जयपुर राजस्थान 302024।
2. रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री नारायण उम्र करीबन 55 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम सिनोदिया हाल निवासी घावास मौहल्ला, एकता नगर ए, जयपुर 302019
3. भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री नारायण उम्र करीबन 62 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम सिनोदिया हाल निवासी 24, बालाजी नगर, झालामंड, जिला जोधपुर राजस्थान 342005
4. बाली देवी पुत्री स्व0 श्री नारायण पत्नि महावीर उम्र करीबन 59 वर्ष हाल निवासी 23, ग्राम छापरी ग्राम पंचायत कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान 303604
5. भंवरी देवी पुत्री स्व0 श्री नारायण पत्नि रामपाल जांगीड जाति खाती उम्र करीबन 70 वर्ष हाल निवासी शिव मंदिर के पास, ईरोलाव, तेजय का बास जयपुर राजस्थान। 303338

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपीलांट्स

बनाम

1. जुगराज सिंह पुत्र स्व0 श्री चेनरूप कोठारी जाति महाजन निवासी सुजानगढ तहसील सुजानगढ हाल निवासी सी—802 नवमंगलम कॉम्पलेक्स, अग्रसेन भवन के पास सिटीलाईट, सुरत सिटी गुजरात जरिए अधिकृत अभिकर्ता सचिन कोठारी पुत्र जुगराज सिंह जाति महाजन निवासी सी—802 नवमंगलम कॉम्पलेक्स, अग्रसेन भवन के पास सिटीलाईट सुरत सिटी, गुजरात।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, रूपनगढ तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।
3. उप—पंजीयक, रूपनगढ तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ, राजस्व वाद संख्या 81/2022 बउनवानी जुगराजसिंह वगैरह बनाम पन्नालाल वगैरह।

उपस्थितः—

1. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री विजय पोषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः—13.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 81/2022 में पारित निर्णय व—डिक्री दिनांक 28.06.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की कब्जे काश्त, उपयोग—उपभोग खातेदारी आराजीयात ग्राम शिवनगर पटवार हल्का सिनोदिया तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान के वर्तमान खसरा नम्बर 30 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म बंजड़ फर्स्ट की भूमि अपीलार्थीगण के 1/5—1/5 हिस्सा अधिकार अभिलेख में दर्ज है रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया कि "वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा ग्राम सिनोदिया पटवार क्षेत्र सिनोदिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 30/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा किस्म बंजड़ फर्स्ट व खसरा संख्या 30/2 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा किस्म बजड़ फर्स्ट कुल रकबा 10 बीघा भूमि जो सम्पूर्ण को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज पिता/पति खातेदार श्री नारायण पुत्र रतना जाति खाती निवासी ग्राम सिनोदिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर से पूर्ण प्रतिफल राशि 40000/— रूपये अक्षरे चालीस हजार रूपये अदा करके दिनांक 13.5.1991 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया था जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन, उपपंजीयक कार्यालय किशनगढ़ के यहां पर दिनांक 13.5.1991 को चस्पा किया गया है उक्त भूमि पर खरीद दिन से आज तक वादी का ही निर्विवादित कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं उपरोक्त आराजीयात वर्तमान ग्राम शिवनगर पटवार हल्का सिनोदिया तहसील रूपनगढ़ के खसरा नम्बर 30 क्षेत्रफल 1.6180 हैक्टेयर भूमि में वादी को खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें" जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को बिना तामील करे, बिना सुने, एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 81/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त करने अपील जरिए प्राथमिक आपत्ति बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन वाद में सम्यक रूप से विधिवत रूप से अपने मूल स्थाई निवास के पते पर तामील होने के पश्चात जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को वॉच करते रहे तथा वादअधीन भूमि से अपीलार्थीगण का उनके पिता स्वर्गीय नारायण द्वारा स्वअर्जित भूमि होकर रेस्पोडेन्ट जुगराजसिंह कोठारी को 13.05.1991 को ही विक्रय कर मौके पर कब्जा काश्त संभला देने व वादअधीन भूमि से अपीलार्थीगण का कोई हक हकूक, सम्बन्ध सरोकार न होने के कारण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय डिकी निर्णय बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर रेस्पोडेन्ट को तंग परेशान, हैरान करने की नियत से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर, झूठे तथ्यों का अंकन कर उसके आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

द्वारा प्रस्तुत मीमो ऑफ अपील में कहीं पर भी यह तथ्य अंकित नहीं किया कि वे सम्मन तामील के समय अपने स्थाई निवास के पते से भिन्न कहां निवास कर रहे थे, इस बाबत कोई सबूत, दस्तावेज भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को अपने मूल स्थाई पते पर बाद सम्मन तामील अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद की जानकारी होने के बावजूद वाद को वींच किया गया तथा मात्र प्रत्यर्थी को परेशान करने की नियत से उक्त अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण के पिता स्वर्गीय नारायण द्वारा अपनी स्वअर्जित सम्पति को बैचान दिनांक 13.05.1991 को कर मौके पर कब्जा काश्त संभला दिये जाने से वादअधीन भूमि बाबत अपीलार्थीगण को कोई हक हकूक अधिकार शेष नहीं है बाबवजूद इसके अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी को मात्र तंग परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा अपने पिता स्वर्गीय नारायण द्वारा प्रत्यर्थी जुगराजसिंह कोठारी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के फर्जी, कूटरचित होने बाबत कथन किया है परन्तु उक्त विक्रय पत्र के निष्पादन दिनांक 13.05.1991 से ही जानकारी होने के बावजूद पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में आज दिन तक चुनौतीग्रस्त नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुसार व विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 के आज्ञापक प्रावधानों के प्रकाश में पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त किये जाने व परीक्षण बाबत क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय में ही निहित है। अपीलार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र निष्पादन के 32 वर्ष पश्चात् गैर कानूनी रूप से माननीय अपीलान्ट न्यायालय के समक्ष अविधिक रूप से उज्र लेते हुए अपील प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से अपीलाधीन कृषि आराजी को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.09.2023 को जरिये पॉवर ऑफ अटॉनी होल्डर कैलाश चन्द जाट के केता डालाराम पुत्र कामड़ जाट निवासी ग्राम शिवनगर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर को विक्रय कर मौके पर कब्जा काश्त संभला दिया गया है जिसका भली भाँति अभिज्ञान अपीलार्थीगण को है। इस कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्तनीय है। अतः प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए उक्त उनवानी प्रकरण को इसी स्तर पर निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्राथमिक आपत्ति बाबत् कथन किए किअधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थीगण की विधिक/प्रोपर तामील कराए अपीलार्थीगण को बिना सुने एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। चूंकि वाद में अपीलार्थीगण का पता ग्राम सिनोदिया तहसील रूपनगढ का अंकन किया गया है परंतु अपीलार्थीगण उपरोक्त ग्राम सिनोदिया में निवास ही नहीं करते है। अपीलार्थीगण बाहर निवास/अधिवास करते है परंतु रेस्पोडेंटस संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण का गलत पता पता अंकित करने अधीनस्थ न्यायालय से तथ्य छिपाकर तामील दर्शायी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की दिनांक 12.04.2023 को प्रोपर तामील नहीं होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है जो विधि के सिद्वान्तो के विपरित है एवं दिनांक 16.06.2023 को वादी साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा एवं दिनांक 28.06.2023 को वादी द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं उसी दिन अर्थात दिनांक 28.06.2023 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रावधानों के निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी जबकी उक्त पत्रावली में रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 द्वारा जवाब पेश किया गया एवं श्रीसरकार जरिये तहसीलदार को साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत् अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकी उक्त पत्रावली वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

साक्ष्य पूर्ण होकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत होनी चाहिए। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक आपत्ति को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन वाद दिनांक 31.10.2022 को पेश किया गया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थीगण की विधिक/प्रोपर तामील कराए अपीलार्थीगण को बिना सुने एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। चूंकि वाद में अपीलार्थीगण का पता ग्राम सिनोदिया तहसील रूपनगढ का अंकन किया गया है परंतु अपीलार्थीगण उपरोक्त ग्राम सिनोदिया में निवास ही नहीं करते है। अपीलार्थीगण बाहर निवास/अधिवास करते है परंतु रेस्पोडेंटस संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण का गलत पता पता अंकित करने अधीनस्थ न्यायालय से तथ्य छिपाकर तामील दर्शायी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की दिनांक 12.04.2023 को प्रोपर तामील नहीं होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है जो विधि के सिद्वान्तो के विपरित है एवं दिनांक 16.06.2023 को वादी साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा एवं दिनांक 28.06.2023 को वादी द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं उसी दिन अर्थात दिनांक 28.06.2023 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रावधानों के निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी जबकी उक्त पत्रावली में रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 द्वारा जवाब पेश किया गया एवं श्रीसरकार जरिये तहसीलदार को साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत् अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकी उक्त पत्रावली वादी साक्ष्य पूर्ण होकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत होनी चाहिए। दिनांक 28.06.2023 को ही वादी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी उसी दिन बहस सुनी गयी एवं उसी दिन निर्णय पारित किया जो पारित नियमों की अवहेलना है जो आदेश विधिक प्रावधानों के विपरित होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण के पक्ष में विरासतन नामान्तरण तस्दीक किया जो रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को विरासतन नामान्तकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत करके नामान्तकरण को चुनौती देना आवश्यक था । परन्तु रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा तथाकथित फर्जी व कुटरचित विक्रय पत्र के आधार पर वाद पेश किया गया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय हैं। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये पॉवर ऑफ अट्रोनी द्वारा वाद पेश किया गया है जो आर0आर0टी0 2021 (2) पेज नम्बर 1477 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "पॉवर ऑफ अट्रोनी हॉल्डर एक केयर टेकर की श्रेणी में आता है उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश नही किया जा सकता है वाद कारण संक्षित नहीं होने से वाद पत्र खारीज किया जाता है" इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 का वाद चलने योग्य ही नहीं था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गयी उसमें तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब पेश किया गया परन्तु तनकीयात में तहसीलदार के जवाब के आधार पर किसी भी प्रकार से कोई तनकीयात विरचित नहीं की गयी है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकी संख्या 1 में अंकित किया गया है। तनकी संख्या 1 "आया कि वादी वादग्रस्त आराजीयात ग्राम सिनोदिया के खसरा नम्बर 30 / 1 व 30 / 2 कुल रकबा 10 बीघा भूमि का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खरीदशुदा भूमि का अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की घोषणात्मक डिक्री जारी करवाने का कानूनी अधिकारी है। जिम्मे वादी" उपरोक्त तनकी संख्या 1 में ग्राम सिनोदिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

के खसरा नम्बर 30/1 व 30 / 2 बाबत अंकन किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ग्राम शिवनगर के खसरा नम्बर 30 रकबा 1.6180 हैक्टेयर भूमि बाबत् आदेश पारित किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुर्भावना पूर्वक अपीलार्थीगण को बिना सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे तथाकथित, कुटरचित, फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 13.05.1991 का मूल दस्तावेज पेश नहीं किया गया एवं ना ही पत्रावली में मूल दस्तावेज अथवा प्रमाणित प्रति नहीं है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित दस्तावेज का मिलान नहीं किया गया है केवल फोटो प्रति पर प्रदर्श–5 ए अंकित किया गया है जो विधि विरूद्व है फोटो प्रति पर प्रदर्श अंकित करने का कोई प्रावधान नही है, विधि का प्रतिपादित सिद्वान्त है कि फोटो प्रति न्यायालय की पत्रावली में ना तो रिकार्ड पर लिया जा सकता है एवं ना ही प्रदर्शित किया जा सकता है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश व डिक्री पारित की गयी है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा वादी साक्ष्य हेतु आदेश 18 नियम 4 सी०पी०सी० के तहत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें न तो ऑथ कमिश्नर/नोटेरी से तस्दीक नहीं किया गया है एवं ना ही अधिवक्ता वादी द्वारा शपथकर्ता की "पहचान" की गयी–है इस प्रकार साक्ष्य हेतु प्रस्तुत साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आता है राजस्थान कोर्ट मैन्युवल व सी०पी०सी० के प्रावधानों की अवहेलना करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दूओं को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश व डिक्री पारित की गयी है जो निरस्तनीय हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 81/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2023 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा ग्राम सिनोदिया पटवार हल्का सिनोदिया तहसील किशनगढ के खसरा नम्बर 30/1 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा व खसरा नम्बर 30 /2 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार राजस्व ग्राम सिनोदिया में से नये राजस्व ग्राम शिवनगर निर्मित होने से उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम शिवनगर पटवार हल्का सिनोदिया तहसील रूपनगढ के स्थित खसरा संख्या 30 क्षेत्रफल 1.6180 हैक्टेयर किस्म बंजर प्रथम सम्पूर्ण की अपीलार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के पिता स्वर्गीय नारायण पुत्र रतना जाति खाती निवासी ग्राम सिनोदिया तहसील किशनगढ (वर्तमान तहसील रूपनगढ) जिला अजमेर से स्वअर्जित भूमि का पूर्ण प्रतिफल राशि 40,000/–रूपये अक्षरे चालीस हजार रूपये अदा करके दिनांक 13.05.1991 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया था जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय किशनगढ के यहां पर दिनांक 13.05.1991 को चस्पा किया गया है। उक्त भूमि पर खरीद दिन से प्रत्यर्थी/वादी का ही निर्विवादित कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं उपरोक्त आराजीयात वर्तमान ग्राम शिवनगर पटवार हल्का सिनोदिया तहसील रूपनगढ के खसरा नम्बर 30 क्षेत्रफल 1.6180 हैक्टेयर भूमि में वादी को खातेदारी उद्घोषणा की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाये जाने हेतु वाद पेश किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को वाद के सम्मन नियमानुसार तामील करवाये जाकर, अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण सम्मन तामील के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई गई थी। वादी/प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद, वाद के साथ संलग्न पंजीकृत विक्रय पत्र,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रेवेन्यू रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात वादी/प्रत्यर्थी के खरीदशुदा, कब्जेकाश्त शुदा आराजी का वाद वादी/ प्रत्यर्थी के पक्ष में डिक्री किया गया है। वादी/प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद के अर्न्तगत दिनांक 31.10.2022 को कुल 7 प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किये गये थे जो कि आगामी दिनांक 23.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 तक के सम्मन अदम तामील प्राप्त हुए थे जिनकी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः तलबी जारी की जाकर सम्मन जारी किये गये थे जो 22.02.2023 को बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्राप्त हुए थे परन्तु प्रतिवादीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई गई थी। बाद कार्यवाही वादी की सशपथ साक्ष्य अभिलिखित की जाकर वादी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत पंजिकृत विक्रय पत्र, प्रस्तुत पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर, वाद के सम्बन्ध में बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एवं डिकी पारित की गई है। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की तामील जवाब अपील के पेरा संख्या 2 में उल्लेखित प्रक्रिया के अर्न्तगत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि पूर्वक प्रोपर तामील हो जाने के बावजूद प्रतिवादीगण या उनकी ओर से किसी अधिवक्ता के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लम्बित वाद के सम्बन्ध में जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को सूचित किये जाने के बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझकर अवहेलना की जाकर तथा अपने पिता स्वर्गीय नारायण द्वारा दिनांक 13.05.1991 को 40,000 /– रूपये अक्षरे चालीस हजार रूपये प्रतिफल राशि प्राप्त कर बैचान की गई होने का ज्ञान होने से जानबूझकर लंबित वाद कार्यवाही में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके चलते अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई गई थी। वादी/प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये पॉवर ऑफ अटॉनी के वाद प्रस्तुत किया गया है परन्तु अपील के पेरा संख्या 5 के अन्य कथन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2021 (2) पेज नं. 1477 के अर्न्तगत प्रतिपादित सिद्धान्त के गलत विवेचना करते हुए प्रस्तुत किये गये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की अपीलार्थीगण द्वारा गलत विवेचना करते हुए तोड़ मरोड़कर कथन किया कि " पॉवर ऑफ अटॉनी होल्डर एक केयर टेकर की श्रेणी में आता है " जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अर्न्तगत पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर केयर टेकर की श्रेणी में आता है ऐसा किसी भी निर्णय के अर्न्तगत प्रतिपादित नहीं किया गया है तथा उक्त आर0आर0टी 2021 (2) पेज नं. 1477 के अर्न्तगत केयर टेकर द्वारा अपने स्वामी की सम्पति की स्वामित्व, घोषणा एडवर्स पजेशन के आधार पर नहीं की जा सकती है। इस बाबत निर्णय पारित किया गया है। बावजूद इसके अपीलार्थीगण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की विपरीत विवेचना करते हुए न्यायालय को भ्रमित करने की नियत से गलत आधार पर अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पॉवर ऑफ अटॉनी होल्डर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद बहस सुनी जाकर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है–2024 एसएआर(सिव)1000 2024 एसएआर ऑनलाईन(एस0सी0)527, 2024 आईएनएससी 540 सूप्रीम कोर्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, 2023 (2)डीएनजे राजस्थान पेज 529, आरआरटी 2024(1) पेज 170।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुर्भावना पूर्वक अपीलार्थीगण को बिना सुने एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है जो विधि व न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मीमो ऑफ अपील में कहीं पर भी यह तथ्य अंकित नहीं किया कि वे सम्मन तामील के समय अपने स्थाई निवास के पते से भिन्न कहां निवास कर रहे थे, इस बाबत कोई सबूत, दस्तावेज भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण को अपने मूल स्थाई पते पर बाद सम्मन तामील करवाये गये है इसलिए अपीलार्थीगण का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुर्भावना पूर्वक अपीलार्थीगण को बिना सुने एक पक्षीय आदेश पारित कियें। द्वितीय यह है कि ग्राम सिनोदिया पटवार हल्का सिनोदिया तहसील रूपनगढ के खसरा नम्बर 30/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 30/2 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा हिस्सा संपूर्ण को अपीलांट के पिता श्री नारायण पुत्र रतना जाति खाती द्वारा प्रतिफल राशि 40000/– रूपए लेकर वर्तमान रेस्पोडेंट के हक में दिनांक 13.05.1991 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अपना हिस्सा बैचान कर दिया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने मूल रजिस्ट्री न्यायालय में प्रस्तुत कर रजिस्ट्री का अवलोकन करवाया है तथा प्रमाणित प्रति रेस्पोडेंट द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध है व विक्रय–पत्र का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय, किशनगढ में दिनांक 13.5.1991 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 210 क्रम संख्या 657 पृष्ठ संख्या 323 से 324 तक तथा अतिरिक्त बुक की जिल्द संख्या 204 क्रम संख्या 657 के पृष्ठ संख्या 104 से 109 में चस्पा किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 13.5.1991 के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजियात स्व0 नारायण पुत्र रतना द्वारा विक्रय की गई थी। प्रकरण में उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी स्व0 नारायण द्वारा वर्ष 1991 में विक्रय की गई थी। इस सम्बन्ध में हमारा मत है कि अपीलार्थी वादी द्वारा इतनी लंबी अवधी तक उक्त विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने की कार्यवाही की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।उक्त पंजीबद्ध विक्रय–पत्र के आधार पर विवादित आराजी के सद्भाविक क्रेता एवं रेकार्डेड खातेदार के अधिकारों को बिना किसी युक्तियुक्त आधार के समाप्त नहीं किया जा सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 के अनुसार कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगण या अधिकारिता पर प्रभाव नही पड़ता है न तो उलटी जाएगी और न उपान्तरित की जाएगी– पक्षकारो या वाद हेतुको के ऐसे कुसंयोजन (या असंयोजन) के या वाद की किन्ही भी कार्यवाहीयों में ऐसी गलत, त्रुटि या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणावगुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है कोई भी डिक्री अपील में न तो उलटी जाएगी और न उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा और न कोई मामला अपील में प्रतिप्रेषित किया जाएगा। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय व डिक्री पारित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। उपर्युक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.6.2023 यथावत् रखे जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 81/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2023 को यथावत रखा जाता है। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत प्राथमिक आपत्ति, अपील को खारिज किए जाने से सारहीन हो चुका है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

13/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner